बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 381807 पटना, दिनांक:- 31/07/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(लक्ष्य)-115-01/2017

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गया ।

विषयः- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में प्राप्त संशोधित लक्ष्य को उप आवंटित करने एवं समायोजन करने हेतु मार्गदर्शन देने के संबंध में ।**

प्रसंग :- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया का पत्रांक-1853 दिनांक-18.07.18

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पत्र में वर्णित तालिका से स्पष्ट होता है कि 2016-17 एवं 2017-18 के लिए अल्पसंख्यक कोटि में विभाग द्वारा संसूचित लक्ष्य से अधिक लक्ष्य का उप आवंटन जिला स्तर से किया गया है ।

उपर्युक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए संसूचित लक्ष्य एवं कोटि परिवर्तन संबंधी प्राप्त सहमति के आलोक में जिलान्तर्गत कोटिवार प्राथमिकता सूची में उपलब्ध लाभुकों की संख्या को दृष्टिपथ रखते हुए विभागीय पत्र संख्या-378693 दिनांक-11.07.18 द्वारा उक्त वित्तीय वर्षों के लिए जिलावार एवं कोटिवर revised target कर्णांकित कर सूचित किया गया है और सम्प्रति विभाग द्वारा संसूचित उक्त लक्ष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है क्योंकि कोटिवार अनुमान्य लक्ष्य को सभी जिलों में वितरित कर तदनरूप लाभुकों को आवास की स्वीकृति एवं सहायता राशि भुगतान करने का निदेश दिया जा चुका है ।

उपर्युक्त की स्थिति में विभाग द्वारा संसूचित वर्षवार एवं कोटिवार लक्ष्य के अंतर्गत ही प्रखण्डों को लक्ष्य का उप आवंटन कर योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है । यदि जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए संसूचित कोटिवार लक्ष्य से अधिक किसी कोटि में लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गई हो तो उसे तत्काल रद्द कर दिये जाने तथा उन लाभुकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए संसूचित कोटिवार लक्ष्य के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने संबंधी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है ।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में वांछित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए कोटिवार संसूचित revised target के अनुरूप लाभुकों को आवास की स्वीकृति एवं सहायता राशि अंतरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 381807 पटना, दिनांक 31/07/18

प्रतिलिपि- उप विकास आयुक्त, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव